राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध II जमानत आवेदन संख्या 9738/2023

राजू राम बिश्नोई पुत्र श्री नैना राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, मचारो की ढाणी, केरलानाडा, भीकमकौर, ओसिया पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर. (सेंट्रल जेल, जोधपुर में बंद)।

----अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, एनसीबी, जोधपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विजय राज बिश्नोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एम.आर. पारीक, विशेष पीपी, एनसीबी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

27/05/2024

1. पुलिस स्टेशन एनसीबी जोधपुर यूनिट, जिला जोधपुर में दर्ज एफआईआर संख्या VIII(IO)10/NCB/JZU/2019 के अनुसरण में गिरफ्तार, याचिकाकर्ता ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 439 Cr.P.C. के तहत यह आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8/15, 8/18, 8/25 और 8/29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है।

2. जमानत के लिए पहला आवेदन मामले की योग्यता पर विचार किए बिना निपटाया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस पर जोर नहीं दिया गया था, जबकि जब्ती अधिकारी और जांच अधिकारी के बयान दर्ज करना अभी भी लंबित था। अब बयान दर्ज करने के बाद, यह दूसरा जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. मैंने विद्वान बचाव पक्ष के वकील और विद्वान सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों की सराहना की है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

4. राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक से बरामद 215.100 किलोग्राम प्रतिबंधित पोस्त और 28.920 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होते हैं; जांच अधिकारी ने मामले में भारी सबूत एकत्र किए हैं जो प्रथम दृष्टया आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं; आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, बल्कि उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए; आरोपी किसी भी तरह की सहानुभूति के पात्र नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता एक ड्रग पेडलर है। इसलिए, वह आवेदकों की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं।

5. मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है।

6. अभिलेख के अवलोकन और प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम की धारा 52ए के अनिवार्य प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है, क्योंकि जब्ती अधिकारी बाबू राम सिरोही (पीडब्लू-1) ने राजपत्रित अधिकारी के मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मामले में धारा 52ए के तहत कार्यवाही नहीं कराई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मांगी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1651/2023 दिनांक 12.07.2023 को निर्णीत) के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि:-

> "ऐसी सूची, तस्वीरें और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची प्राथमिक साक्ष्य के रूप में गठित की जाएंगी। इसलिए, जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का अनुपालन नहीं होता है, जहां मजिस्ट्रेट के प्रमाणीकरण की कमी होती है, तो कोई भी सूची, तस्वीर या नमूनों की सूची प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगी। इस प्रावधान के पीछे स्पष्ट कारण जांच की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाना है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है जिसके तहत मजिस्ट्रेट की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जिसके बाद सूची को प्रमाणित करने या खींचे गए नमूनों की सूची के अलावा ली गई तस्वीर के लिए उनकी मंजूरी की सुविधा के लिए एक आदेश दिया जाता है।"

7. मोहम्मद खालिद बनाम तेलंगाना राज्य आपराधिक अपील संख्या 1610/2023 (एससी) 01.03.2024 को तय हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि:-

> 22. बेशक, जब्ती अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सूची तैयार करने और नमूने प्राप्त करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले के इस दृष्टिकोण से, एफएसएल रिपोर्ट बेकार कागज के अलावा कुछ नहीं है और इसे साक्ष्य के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता।

8. इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदक पिछले लगभग 5 वर्षों (59 महीने) से हिरासत में है और इस अवधि के दौरान मुकदमे में केवल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें जब्ती अधिकारी बाबू राम सिरोही, कांस्टेबल मुकेश कुमार सैनी, कांस्टेबल गोपाल राम मीना, रंजीत कुमार बरनवाल और जांच अधिकारी मनोज सौगुना शामिल हैं। इस अदालत के विशेष आदेश के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने शेष गवाहों को पेश नहीं किया है।

9. रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य (अपील के लिए विशेष अनुमति) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:-

> "3. हमें बताया गया है कि मुकदमा शुरू हो चुका है, लेकिन 19 गवाहों में से केवल 1 की ही जांच की गई है। इसलिए, मुकदमे के समापन में कुछ और समय लगेगा।
>
> 4. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तों के संबंध में, प्रतिवादी - राज्य के विद्वान वकील को विधिवत सुना गया है। इस प्रकार, पहली शर्त का अनुपालन किया जाता है। जहां तक दूसरी शर्त का संबंध है: इस बारे में राय बनाने का कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, इस स्तर पर राय नहीं बनाई जा सकती है जब वह पहले से ही साढ़े तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है। लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में, सशर्त स्वतंत्रता को एनडीपीएस अधिनियम

की धारा 37 (1) (बी) (ii) के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को खत्म करना चाहिए।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब के मामले में (2021) 3 एससीसी 713 में रिपोर्ट की, ऐसे मामलों से निपटते हुए जहां जमानत देने के लिए न्यायालय की शक्ति पर बेड़ियाँ लगाई जाती हैं और उचित समय के भीतर मुकदमा पूरा नहीं किया गया है, शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन पाया।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2023 को मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 915/2023 में दिए गए निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए मुकदमे में देरी पर भी विचार किया जा सकता है और याचिकाकर्ता जमानत पर छूट पाने का हकदार है।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान मामले में न तो जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और न ही बरामदगी स्थल पर नमूने लिए गए थे। इसके बजाय, जब्ती अधिकारी द्वारा आवेदक को बिलारा पुलिस थाने में ले जाकर पूरी जब्ती और कागजी कार्रवाई की गई थी। साइट प्लान यह साबित नहीं करता है कि बिलारा पुलिस थाना बरामदगी स्थल के बहुत करीब स्थित था, जिससे पता चलता है कि जब्ती की कार्यवाही पुलिस थाने में की गई थी। इसलिए, जब्ती की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप असाध्य दोष उत्पन्न हुए। इसलिए, प्रथम दृष्टया पूरी जब्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और दोषपूर्ण है।

13. इसलिए, मामले के तथ्यों के संबंध में और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कथित जब्ती के दौरान जब्ती अधिकारी द्वारा अपनाई गई नमूना लेने की प्रक्रिया के बारे में अधिनियम की धारा 52 ए के संबंध में जब्ती अधिकारी के बयान पर विचार करने के बाद, जैसा कि चालान पत्रों और प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला है, प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 52 ए का सही भावना में अनुपालन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, यह

अभियोजन पक्ष के मामले को काफी कमजोर करता है और इस प्रकार, संपूर्ण तलाशी और जब्ती कार्यवाही प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण है।

14. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात; आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क, विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य तथा यह तथ्य कि आवेदक लगभग 5 वर्षों से हिरासत में है; जमानत अस्वीकृति आदेश से यह पता चलता है कि आवेदक एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है; सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है तथा इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, बल्कि यह विचार करना चाहता हूं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि यह न्यायालय महसूस करता है कि आवेदक के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं तथा आवेदक को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता राजू राम बिश्नोई पुत्र श्री नैना राम, जिसे पुलिस स्टेशन एनसीबी जोधपुर यूनिट, जिला जोधपुर में पंजीकृत एफआईआर संख्या VIII(IO)10/NCB/JZU/2019 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए, उस कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिन के भीतर तथा जमानतदारगण जमानत प्रस्तुत करने के दिन अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक तथा शाखा का नाम, शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के अन्तर्गत जुर्माना राशि की वसूली सुचारू रूप से की जा सके।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।